न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 53/2014

निर्णय दिनांक–:–29.11.19

दीवानी दावा :

1. प्रभू पुत्र हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. छोटू पुत्र हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. रतनलाल पुत्र गोपी जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. राधा पुत्री हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. केलाशी बेवा हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादीगण –

बनाम

1. गणेश पुत्र हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. गोपी पुत्र हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. बद्री पुत्र हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. गुलाब पुत्री हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. मनराज पुत्र रामलाल जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. रामदयाल पुत्र हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री राधेश्याम काबरा
श्री धर्मराज गुर्जर
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज, व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण सं. 1 व 2 के पिता, वादीगण सं. 3 व 4 के दादा एवं वादिया सं. 5 के ससुर हरला पुत्र माधो गुर्जर निवासी ख्वासपुरा के एक मात्र स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 773 रकबा 0.97 है0 वाके ग्राम ख्वासपुरा तहसील देवली जिला टोक राज0 में स्थित है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के पिता एवं प्रतिवादीगण 5 व 6 के दादा एवं मृतक कानी के पति का नाम भी हरला पुत्र माधो गुर्जर निवासी ख्वासपुरा था। वादीगण के पिता/दादा/ससुर एवं प्रतिवादीगण के पिता/दादा दोनो अलग अलग व्यक्ति थे तथा एक ही गांव ख्वासपुरा के निवासी थे तथा एक ही जाति के व्यक्ति थे। वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि से प्रतिवादीगण एवं उनके पिता/दादा हरला पुत्र माधो गुर्जर का कोई संबंध नही था एवं प्रतिवादीगण के पिता/दादा के नाम वल्दियत, जाति एवं निवास मे समानता होने के कारण वादीगण के पिता/दादा/ससुर की खातेदारी में अंकित उक्त वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादीगण के पिता/दादा हरला गुर्जर की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादीगण की भूमि होने का झूठा कथन कर वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य एवं खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि भूमि का नामांतकरण अपने नाम भरवा कर अपने नाम की खातेदारी मे अंकित करवा दिया । वाद पत्र में वर्णित उक्त भूमि की प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी का अंकन अनाधिकृत एवं अवैध है और वादीगण के हितो पर निष्प्रभावी है। वादीगण के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि का नामांतकरण प्रतिवादीगण के नाम अनाधिकृत एवं अवैध होने से वादीगण के हितो पर निष्प्रभावी

है। वाद पत्र में वर्णित भूमि वादीगंण के कब्जेकाश्त की भूमि है जिससे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई संबंध नही है। पटवार क्षैत्र सीतापुरा मे फतेहपुरा ग्राम अलग राजस्व ग्राम हो जाने एवं वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि मे फतेहपुरा राजस्व ग्राम में आने एवं फतेहपुरा राजस्व ग्राम की जमाबंदी मे उक्त नम्बर अंकित होने से नया खसरा नम्बर 133 रकबा 0.97 है0 बनाये जाकर उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता/दादा की मृत्यु होने के कारण जरिये फोती नामांतकरण प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई जिसे राजस्व रिकार्ड मे संशोधित कराया जाकर हाल खसरा नम्बर 133 रकबा 0.97 की खातेदारी वादीगण के नाम अंकित किया जाना कानूनन आवश्यक हो गया है। वाद कारण के पिता हरला पुत्र माधो गुर्जर निवासी ख्वासपुरा की खातेदारी का अनाधिकृत अंकन प्रतिवादीगण के नाम होने एवं प्रतिवादी के पिता की मृत्यु उपरान्त वाद पत्र मे वर्णित वादीगण की भूमि का अनाधिकृत अंकन प्रतिवादीगण के नाम हो जाने के कारण सात दिन पूर्व वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के नाम गलत अंकित खातेदारी की कृषि भूमि का अंकन अपने नाम कराने के निवेदन पर प्रतिवादीगण ने वाद पत्र मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 133 रकबा 0.97 है0 की खातेदारी वादीगण के नाम कराने से इन्कार करने एवं उक्त वर्णित भूमि मे वादीगण के कब्जे काश्त मे मजामहत करने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है और उक्त वाद का श्रवणाधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य बन्द करने साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वाद डिक्री करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–1 में वादीगण हरला के वारिसान है, जमाबन्दी सम्वत 2054–57 में हरला पुत्र माधो व जमाबन्दी सम्वत 2050–53 में भी हरला पुत्र माधो अंकित है। वादीगण, प्रतिवादीगण के नाम वर्णित भूमि को दुरूस्त करवा कर अपने नाम खाते भूमि खसरा नम्बर 133 रकबा 0.97 है0 की खातेदारी वादीगण के नाम कराना चाहते है। इसके लिए वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि यह भूमि वादीगण की थी और समान नाम होने के कारण प्रतिवादीगण के नाम सहवन से लग गई। अतः वादीगण द्वारा उचित दस्तावेजात, सबूत व साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार एकपक्षीय डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम

देवली व अलजाम श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

1. प्रभू पुत्र हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. छोटू पुत्र हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. रतनलाल पुत्र गोपी जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. राधा पुत्री हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. केलाशी बेवा हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादीगण –

बनाम

1. गणेश पुत्र हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. गोपी पुत्र हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. बद्री पुत्र हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. गुलाब पुत्री हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. मनराज पुत्र रामलाल जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. रामदयाल पुत्र हरला जाति गुर्जर उम्र निवासी ख्वासपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

दावा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 53 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री अशोक कुमार त्यागी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आर. एस. काबरा व धर्मराज गुर्जर अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व एकपक्षीय डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वादीगण द्वारा उचित दस्तावेजात, सबूत व साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण वादी खारिज किया जाता है।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 11 सन् 2019 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा ....

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए